

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी 2018—माघ 24, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर  
ग्वालियर, दिनांक 13 फरवरी 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक 5 (1)-2017-18-1042.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 88, दिनांक 3 फरवरी 2018 में प्रकाशित निविदा क्रमांक-5(1) 2017-18-863 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित निविदा सूचना की कंडिका 3(i) (स) (3) में उल्लेखित "यदि निविदादाता द्वारा उल्लेखित दरें, उपर्युक्त निर्धारित दरों से पांच प्रतिशत से अधिक है, तब स्वीकृत उल्लेखित दरों एवं उपर्युक्त वर्णित आधार दरों (Base Rates) के मध्य के अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा प्रदाय संविदाकार (आसवक) को किया जायेगा. "के स्थान पर" यदि निविदादाता द्वारा उल्लेखित दरें, उपर्युक्त निर्धारित दरों से पांच प्रतिशत से अधिक हैं, तब स्वीकृत उल्लेखित दरों एवं उपर्युक्त वर्णित आधार दरों (Base Rates) के पांच प्रतिशत से अधिक अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा प्रदाय संविदाकार को किया जायेगा.

अरुण कोचर, आबकारी आयुक्त.